नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, नालन्दा (बिहारशरीफ) में साफ–सफाई हेतु कर्मियों की व्यवस्था Out Sourcing के माध्यम से किया जाना है। उक्त कार्य हेतु Service Provider के चयन हेतु दिनांक 29.09.2016 को अपराह्न 1:30 बजे तक निविदा आमंत्रित किया जाता है एवं उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा को खोला जाएगा। कार्य की विवरणी एवं निविदा की शर्त्तें जिला के बेवसाईट www.nalanda.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

कार्य की विवरणी :–

1. जिला निबंधन एवं परामर्श, नालन्दा (बिहारशरीफ) केन्द्र में पूर्वाह्न 9:00 बजे से पूर्व कमरों में झाड़ू लगाकर पोछा (फिनाईल से) करना।
2. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में अवस्थित शौचालयों की साफ–सफाई दिन में तीन बार फिनाईल के साथ करना।
3. परामर्श केन्द्र के परिसर में झाड़ू लगाना एवं कूड़ा हटाना सुबह 9:00 बजे से पहले तक।
4. भवन के बरामदा एवं मुख्य द्वार का दिन में दो बार झाड़ू पोछा सुनिश्चित करना।
5. भवन एवं शौचालयों में फिनाईल की गोली एवं सफाई उपस्कर/सामग्री की आपूर्ति (आवश्यकतानुसार प्रतिदिन)

निविदा की शर्तें:–

1. निविदादाता यदि कोई व्यक्ति/फर्म हो तो उसका निबंधन वाणिज्य विभाग में के VAT के लिए होना चाहिए।
2. निविदादाता को आयकर दाता होने का प्रमाण–पत्र/ PAN No. of Sercive Provider एवं विगत दो वर्षों का आयकर रिर्टन की प्रति समर्पित करनी होगी।
3. Service Tax से संबंधित निबंधन प्रमाण–पत्र समक्ष प्राधिकारी से प्राप्त।
4. EPF से संबंधित निबंधन प्रमाण–पत्र।
5. निविदादाता को अग्रधन के रुप में जिला योजना पदाधिकारी के पदनाम से 30,000/–(तीस हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
6. निविदादाता को पूर्व में उक्त कार्य में अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र देना होगा।
7. निविदादाता को उपर वर्णित विवरण के कार्यों के लिए आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री एवं मजदूरी का पूर्ण विवरण देते हुए न्यूनतम दर अंकित करना होगा।
8. सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस आशय का एकरारनामा दाखिल करना होगा।
9. कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने की स्थिति में मासिक विपत्र से अनुपातिक राशि की कटौती की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार एकरारनामा भी रद्द किया जा सकता है।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा बिहारशरीफ जिला न्यायालय में होगा।
11. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने की नोटरी पब्लिक द्वारा शपथ पत्र देना होगा।
12. निविदादाता द्वारा Technical एवं Financial Bid दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफों में जिला योजना कार्यालय, नालन्दा में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।
13. निविदा में स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ही निविदा में भाग लेगें।
14. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।